बाल अपराध

एक नजर में

मित्रता सेवा सुरक्षा

उत्तराखण्ड पुलिस

हस्त पुस्तिका

सुरक्षित बचपन

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	पुलिस महानिदेशक का संदेश	2
3	अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड का संदेश	3
4	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (JJ ACT 2015)	4-14
5	गुमशुदा बालकों के मामलों के लिए प्रक्रिया	15-17
6	बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012	18-21
7	बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 एवं बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976	22-26
8	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006	27-30
9	बालक दुर्व्यापार	31-34
10	अन्य भारतीय दण्ड संहिता	35-36

प्रस्तावना

बचपन एक ऐसी अवस्था है, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार और अभिभावकों के साथ की आवश्यकता होती है। बच्चों का मन कोमल होने के बाद भी बच्चों के साथ शोषण की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बच्चों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण होता है, परन्तु अपने कानूनी व संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण बच्चे इसका विरोध नहीं कर पाते हैं।

बच्चों के विकास से न केवल बच्चों का बल्कि उनके परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। बच्चों के प्रति हमारे व्यवहार, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, बच्चों के अधिकार पर उनके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। इस कारण बच्चों के अधिकारों की संवैधानिक और कानूनी रक्षा के लिए हमारे देश में विभिन्न कानून बनाये गये हैं। बालकों की उपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान है। भविष्य में सुखद समाज के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना अति आवश्यक है। इस कारण प्रगतिशील समाज बालकों के विकास एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार बच्चों के विरूद्ध व बच्चों के प्रति वर्ष 2018 में 141764, वर्ष 2019 में 148090 तथा वर्ष 2020 में 128531 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि वर्ष 2020 में वर्ष 2018 व वर्ष 2019 के मुकाबले कम मामले दर्ज हुए हैं, फिर भी बच्चों के विरूद्ध व बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध चिंता का विषय है। इसलिए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु पुलिस कार्मिकों को बच्चों से जुड़े कानूनों व प्रक्रियाओं की जानकारी आवश्यक है। पुलिस कार्मिकों को बच्चों से जुड़े कानूनों व प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान किये जाने हेतु इस हस्त पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। आशा है कि यह हस्त पुस्तिका बच्चों के सम्बन्ध में बने कानूनों की जानकारी प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।

संदेश

बच्चे की प्रथम पाठशाला उसके परिवार को कहा जाता है, क्योंकि प्रारम्भ में बच्चा अपने परिवार से ही शिक्षा प्राप्त करता है। भारत में बच्चों के विरूद्ध व बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के लिए विभिन्न कानूनों को स्थापित किया गया है तथा साथ ही साथ बच्चों की सुरक्षा हेतु सभी सम्बन्धित हितधारकों की भूमिका भी तय की गयी है। जब भी बच्चों के विरूद्ध व बच्चों के प्रति कोई अपराध होता है तो उसके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है।

बच्चों के विरूद्ध व बच्चों के प्रति अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करना पुलिस का प्रथम कर्तव्य है। इस दौरान यदि पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बच्चे को न्याय दिलाया जाये तो इससे बच्चे में ही नहीं अपितु पूरे समाज में पुलिस के लिए एक सकारात्मक संदेश जाता है। बच्चों के कानूनी व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु पुलिस को बच्चों से जुड़े कानूनों व प्रक्रियाओं की जानकारी आवश्यक है।

हर्ष का विषय है कि बच्चों के हितों से जुड़े कानूनों की जानकारी प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा इस हस्त पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह हस्त पुस्तिका उत्तराखण्ड पुलिस के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। मैं उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा प्रकाशित इस हस्त पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ।

अशोक कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।

संदेश

बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। बच्चों के खिलाफ हिंसा न केवल उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि उनके भविष्य के लिए भी खतरा है। सभी बच्चों को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का संवैधानिक व कानूनी अधिकार है। बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए देश में कई कानून विद्यमान हैं, जिनमें समय के साथ–साथ संशोधन भी होते रहते हैं तथा बच्चों के साथ घटित होने वाले अपराधों के लिए नए कानून भी निर्मित किये जाते हैं। बाल अधिकारों को सुनिश्चित कराना पुलिस का महत्वपूर्ण कर्तव्य है।

मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि बच्चों के अधिकारों हेतु लागू कानूनों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा पुलिस को बच्चों से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा इस हस्त पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह हस्त पुस्तिका उत्तराखण्ड पुलिस के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। मैं उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा प्रकाशित इस हस्त पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ।

डा0 वी0 मुरूगेशन, IPS
अपर पुलिस महानिदेशक,
अपराध एवं कानून व्यवस्था,
उत्तराखण्ड

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (JJ ACT 2015)

बालक: 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति।

विधि का उल्लंघन करने वाला बालक: ऐसा बालक जिसने कोई अपराध किया है और उस अपराध के किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक :

(i) जिसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं है ; या

(ii) जिसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधि का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है; या

(iii) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति द्वारा बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा ऐसा करने की धमकी दी है।

(iv) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या

घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है। जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उसकी देखरेख करने में, बोर्ड या समिति द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाये जाते हैं; या

(v) जिसके माता–पिता नहीं है और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता–पिता ने उसका परित्याग कर दिया है; या

(vi) जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है और यथोचित पूछताछ के बाद भी जिसके माता–पिता का पता नहीं चल पाया हो।

(vii) जिसका लैंगिग दुर्व्यवहार या अवैध कार्य के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की सम्भावना है; या

(viii) जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरूपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की सभावना है; या

(IX) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है; या

(X) ऐसा बच्चा जिसके कानून द्वारा निर्धारित आयु के पूर्व विवाह की पूर्ण आशंका हो और बच्चे के माता–पिता, अभिभावक, परिवार के अन्य सदस्य इत्यादि ऐसे विवाह के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (Child Welfare Police Officer):– प्रत्येक थाने में –सहायक उप निरीक्षक के पद से नीचे का न हो।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का दायित्व :–पुलिस तथा स्वैच्छिक एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय रखते हुए एकमात्र रूप से बच्चों से सम्बन्धित मामलों को सम्पादित करना, चाहे वह बच्चा पीड़ित हो या दोषी।

विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit) :–

प्रत्येक जनपद में–

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक	–	अध्यक्ष
पुलिस उपाधीक्षक	–	नोडल अधिकारी

वाचक वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक - सदस्य
प्रत्येक थाने का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी - सदस्य
समाज सेवी - 02 सदस्य

विशेष किशोर पुलिस इकाई के दायित्वः-

1. विशेष किशोर पुलिस इकाई उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से सम्बन्धित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी।

2. विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास निम्नलिखित Stake Holders के नाम, नम्बर, कार्यालय व विवरण की सूची होगीः-

- किशोर न्याय बोर्ड
- बाल कल्याण समिति
- बाल देखरेख संस्था
- समाज कल्याण विभाग
- श्रम विभाग
- चिकित्सा विभाग
- शिक्षा विभाग
- महिला एवं बाल विकास विभाग
- अन्य सम्बन्धित विभाग

3 विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम और सम्पर्क नम्बर पुलिस थानों, बाल देखरेख संस्थाओं, समितियों, बोर्ड और बाल न्यायालयों के प्रमुख भाग में प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

JJ ACT 2015 के अन्तर्गत बालकों के विरूद्ध अपराध, धारा व दण्डः-

धारा	प्राविधान	दण्ड
74	बालक की पहचान के प्रकटन का प्रतिषेध	06 माह तक का कारावास या 02 लाख तक का जुर्माना या दोनों।
75	बच्चे के प्रति क्रूरता	03 वर्ष तक का कारावास या 01 लाख तक का जुर्माना या दोनों।
	संस्था द्वारा बच्चे के प्रति क्रूरता	05 वर्ष तक का कठोर कारावास और 05 लाख तक का जुर्माना।
	बच्चे के साथ क्रूरता जिसकी वजह से अपने नियमित कार्य से अयोग्य हो गया है	कम से कम तीन वर्ष तक का कठोर कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है और पांच लाख रूपये का जुर्माना।
76	भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन	05 वर्ष तक का कारावास और 01 लाख रू0 तक का जुर्माना।
	भीख मांगने के लिए बालक का अंग भंग करना या विकलांग करना	कम से कम 07 वर्ष तक का कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और 05 लाख रू0 तक का जुर्माना।
	बच्चे की जिम्मेदारी सम्भालने वाले या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चे से भीख मंगवाने में सहायता करना।	पांच वर्ष तक का कारावास और एक लाख रूपये का जुर्माना।
77	बालक को मादक पदार्थ या स्वापक	07 वर्ष तक का कारावास और 01

	औषधि या मन: प्रभावी पदार्थ देना	लाख रू0 तक का जुर्माना।
78	किसी बालक का किसी मादक-लिकर, स्वापक औषधि या मन: प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी पूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना।	07 वर्ष तक का कठोर कारावास और 01 लाख रू0 तक का जुर्माना।
79	किसी बाल कर्मचारी का शोषण।	05 वर्ष तक का कठोर कारावास और 01 लाख रू0 तक का जुर्माना।
80	विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के लिए दांडिक उपाय	03 वर्ष तक का कारावास और 01 लाख रू0 तक का जुर्माना या दोनों।
81	बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपापन	05 वर्ष तक का कठोर कारावास और 01 लाख रू0 तक का जुर्माना।
	यदि बालक का भारसाधन रखने वाले व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया हो।	07 वर्ष तक का कठोर कारावास जो 03 वर्ष से कम का नहीं हो सकेगा।
82	बालक देखरेख संस्था का भारसाधक या उसमें नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से किसी बालक को शारीरिक दण्ड।	तीन मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
	उपधारा (1) में निर्दिष्ट संस्था में नियोजित कोई व्यक्ति, उस उपधारा के अधीन किसी अपराध का दोष सिद्ध।	सेवा से पदच्युति।

	उपधारा (1) में निर्दिष्ट संस्था के प्रबंधन द्वारा जांच में सहयोग न करना।	03 वर्ष तक का कारावास और 01 लाख रू0 तक का जुर्माना।
83	उग्रवादी समूह या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग।	07 वर्ष तक का कठोर कारावास और 05 लाख रू0 तक का जुर्माना।
84	बालक का व्यपहरण व अपहरण।	भा0दं0वि0 की धारा 359 से 369 की तरह (संज्ञेय और गैर जमानतीय)
85	नि:शक्त बालकों पर किये गये अपराध।	अपराध के लिए उपबन्धित दुगनी शास्ति।
86	अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय	1-सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध- संज्ञेय, अजमानतीय और बाल न्यायालय द्वारा विचारणीय। 2- तीन वर्ष से अधिक किन्तु सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध - संज्ञेय, अजमानतीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। 3-तीन वर्ष से कम की अवधि के कारावास से या केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध - असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय।
87	अपराध का दुष्प्रेरण	उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से।

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा पुलिस, SJPU व CWPO के कर्तव्य	विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा पुलिस, SJPU व CWPO के कर्तव्य
• यदि बालक के विरूद्ध किसी संज्ञेय अपराध का होना पाया जाता है तो तत्काल प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाये। • प्राथमिक रिपोर्ट में बच्चों से जुड़े सभी कानूनी प्राविधानों के अन्तर्गत आने वाले आरोपों को लगाया जाये। • किसी असंज्ञेय अपराध के होने की सूचना प्राप्त होने पर उसे दैनिक डायरी में दर्ज करें तथा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को दं0प्र0सं0 1973 की धारा 155 की उपधारा (2) के अधीन अग्रिम आदेश जारी करने के लिए अवगत कराया जाये। • बालक को नजदीकी पुलिस थाने के CWPO को सौंपने में देरी नहीं करनी चाहिए। • बालक के विरूद्ध अपराधों के सभी मामलों में, CWPO द्वारा जांच की जाये। • बालक को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। • बालक को कार्य-समय के दौरान	• जघन्य अपराध या वयस्कों के साथ सम्मिलित रूप से किये जाने के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी। • अन्य सभी मामलों में, SJPU या CWPO बालक द्वारा किये गये अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में अभिलिखित करेगा। • बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और, जहां कहीं बालक को पकड़े जाने की परिस्थितियां लागू हों, की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को अग्रसारित करेगा। • पकड़े जाने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के विषय में ही किया जायेगा, जब तक यह बालक के सर्वोत्तम हित में न हो। • जब विधि का उल्लंघन करने के लिये अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब सम्बन्धित पुलिस अधिकारी उस बालक को SJPU या CWPO के प्रभार में सौंपेगा, जो तत्काल निम्न को सूचित करेगा:- o बालक के माता-पिता को o सम्बन्धित परिवीक्षा अधिकारी को • चौबीस घंटे के भीतर बालक को पकड़े

समिति के बैठक स्थल पर समिति के समक्ष और कार्य–समय के बाद ड्यूटी रोस्टर के अनुसार समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

परन्तु जहां बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वहां स्वतः समिति बालक तक पहुंचने के लिए ऐसे बालक के स्थान तक जायेगी।

- यदि बालक की आयु दो वर्ष से कम है, जो चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, तो देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के सम्पर्क में आने वाला व्यक्ति या संगठन चौबीस घंटे के भीतर उस बालक की फोटो के साथ लिखित रिपोर्ट भेजेगा और स्वस्थ होते ही उसे इस आशय के प्रमाण–पत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- बालक की मेडिकल जांच अवश्य करायी जाये।
- बच्चे को किसी भी स्थिति में रात्रि में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाये।
- बालक को हवालात में नहीं रखा जाये।
- किसी भी अभियुक्त या सम्भावित अभियुक्त को बालक के सम्पर्क में न आने दिया जाये।

जाने की रिपोर्ट के साथ उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

- यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बेवक्त या दूरदराज के स्थान पर पकड़े जाने के कारण बोर्ड या बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत न किया जा सकता हो तो CWPO, JJ Model Rules 2016 के नियम 69घ के अनुसार उस बालक को सम्प्रेक्षण गृह या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा और उसके बाद 24 घंटे के भीतर उस बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
- बालक को तुरंत और सीधे उस पर लगाए गए आरोपों की जानकारी उसके माता–पिता या संरक्षक के माध्यम से देगा।
- यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति बालक को उपलब्ध करायी जायेगी या पुलिस रिपोर्ट की प्रति उसके माता पिता या संरक्षक को दी जायेगी।
- बालक की मेडिकल जांच अवश्य करायी जाये।
- बच्चे को किसी भी स्थिति में रात्रि में पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाये।
- बालक को हवालात में नहीं रखा जाये।
- किसी भी अभियुक्त या सम्भावित अभियुक्त को बालक के सम्पर्क में न आने दिया जाये।

- जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के सम्पर्क में न लाया जाये।
- बालक से बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस इकाई या बालकों के अनुकूल परिसरों या पुलिस थाने में बालकों के लिए ऐसे अनुकूल स्थान पर की जाये।
- यदि सम्भव हो तो बालक से बाल मित्र थाने में ही पूछताछ की जाये।
- पूछताछ सादे कपड़ो में की जाये।
- बालिकाओं के साथ पूछताछ के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाये।
- विनम्र और सौम्य तरीके से बात की जाये।
- किसी भी हालत में बच्चे के साथ अभद्र, गाली-गलौच वाली या नकारात्मक भाषा का प्रयोग न किया जाये।
- पूछताछ के दौरान बच्चे से एक सम्मानजनक दूरी रखी जाये और जहां तक हो उसके शरीर को स्पर्श करने से परहेज किया जाये।
- बालक से किसी कथन पर हस्ताक्षर न कराये जायें।

- जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के सम्पर्क में न लाया जाये।
- बालक से बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस इकाई या बालकों के अनुकूल परिसरों या पुलिस थाने में बालकों के लिए ऐसे अनुकूल स्थान पर की जाये।
- यदि सम्भव हो तो बालक से बाल मित्र थाने में ही पूछताछ की जाये।
- पूछताछ सादे कपड़ो में की जाये।
- बालिकाओं के साथ पूछताछ के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाये।
- विनम्र और सौम्य तरीके से बात की जाये।
- किसी भी हालत में बच्चे के साथ अभद्र, गाली-गलौच वाली या नकारात्मक भाषा का प्रयोग न किया जाये।
- पूछताछ के दौरान बच्चे से एक सम्मानजनक दूरी रखी जाये और जहां तक हो उसके शरीर को स्पर्श करने से परहेज किया जाये।
- बालक से किसी कथन पर हस्ताक्षर न कराये जायें।

• बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाये। • बालक को, यथास्थिति, उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता जिसकी आवश्यकता बालक को हो, उपलब्ध करायी जाये।	• बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला वधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाये। • बालक को, यथास्थिति, उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता जिसकी आवश्यकता बालक को हो, उपलब्ध करायी जाये। • बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर अन्यथा बेड़ी न पहनायी जाये। • बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग न किया जाये। • बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य न किया जाये। • बालक से बातचीत करते समय उसके माता- पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं। • छोटे व गम्भीर अपराधों के मामलों में पुलिस रिपोर्ट यथाशीघ्र और किसी भी अन्य मामले में पुलिस की सूचना की तारीख से अधिकतम दो मास की समयावधि में बोर्ड के समक्ष दायर की जाये, सिवाए उन मामलों के, जिनमें यथोचित रूप से यह ज्ञात नहीं था कि अपराध में संलिप्त व्यक्ति कोई व्यक्ति कोई बालक था, जिस मामले में पुलिस रिपोर्ट दायर करने के लिए बोर्ड द्वारा समयावधि बढ़ाई जा सकती है।

क्या न करें	क्या करें
हवालात	बाल मित्र पुलिस थाना
वर्दी एवं हथकड़ी	सादे वस्त्र एवं मित्रता
असंवेदनशील 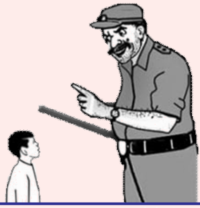	संवेदनशील
भिक्षा	शिक्षा
बालश्रम	देखरेख और संरक्षण
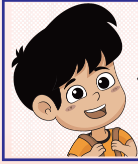 पहचान का प्रकटीकरण	पहचान छिपाना

गुमशुदा बालकों के मामलों के लिए प्रक्रिया

- गुमशुदा बालक की सूचना प्राप्त होने पर अपहरण अथवा मानव दुर्व्यापार के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) तत्काल दर्ज की जाये।
- CWPO को सूचित किया जाये।
- बालक को खोजने के लिए तत्काल कार्यवाही के लिए SJPU को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) अग्रेसित की जाये।
- "www.trackthemissingchild.gov.in पर फॉर्म–एम में बच्चे की सारी सूचनाएं रंगीन व स्पष्ट फोटो के साथ तत्काल अपलोड की जाये।
- गुमशुदा बच्चों की सूचना का फार्म भरकर उसे तुरन्त मीसिंग पर्सन स्क्वाड, राज्य व राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो आदि को भेजा जाये।
- सूचना अपलोड करने के बाद गुमशुदा बालक के माता–पिता या अभिभावक के पता और सम्पर्क फोन नम्बरों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति डाक/ई–मेल द्वारा निकटवर्ती विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाये।
- गुमशुदा बच्चे के फोटोग्राफ और शारीरिक विवरण देते हुए जहां कहीं सम्भव हो प्रमुख समाचार पत्र, टेलीविजन/इलेक्ट्रिक मीडिया, स्थानीय केबल नेटवर्क, और सोशल मीडिया में प्रकाशन और टेलीकास्ट करके व्यापक प्रचार करें और उसके बाद मामलानुसार बोर्ड, समिति अथवा बाल न्यायालय के द्वारा अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करें।
- सिनेमा घरों, शॉपिंग मॉल, पार्कों, मनोरंजन पार्कों, गेम्स पार्लरों तथा वैसे

इलाकों जहां गुमशुदा या भागे हुए बच्चे पाये जाते हैं, की पहचान कर वहां तलाश करें।

- सभी सम्भव मार्गों में, शहर से बाहर जाने से जुड़े तमाम स्थानों में लगे CCTV कैमरों की रिकार्डिंग को ध्यानपूर्वक देखा जाये।
- गुमशुदा बच्चे का विवरण पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो, अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी पुलिस चौकियों के प्रभारियों सहित सभी सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों के प्रभारियों को भेजा जाये।
- जहां बालक को चार माह की अवधि के दौरान तलाश नहीं किया जा सका है, उस मामले का अन्वेषण उस जिले की एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को हस्तांतरित किया जाये, जो अन्वेषण में हुई प्रगति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को हर तीन माह में रिपोर्ट करेगी।
- बरामद कर लिये जाने के बाद बालक को बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष उपयुक्त निदेश हेतु पेश किया जाये।
- पुलिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजेगी, जो बालक और उसके परिवार को परामर्श और समर्थन सेवाएं प्रदान करेगा ।
- पुलिस जांच करेगी कि बालक के साथ कोई अपराध हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो तद्नुसार कार्यवाही करेगी।
- गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में जारी एस0ओ0पी0 (S.O.P.) का पालन किया जाये।

गुमशुदा बच्चे की शिकायत मिलने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

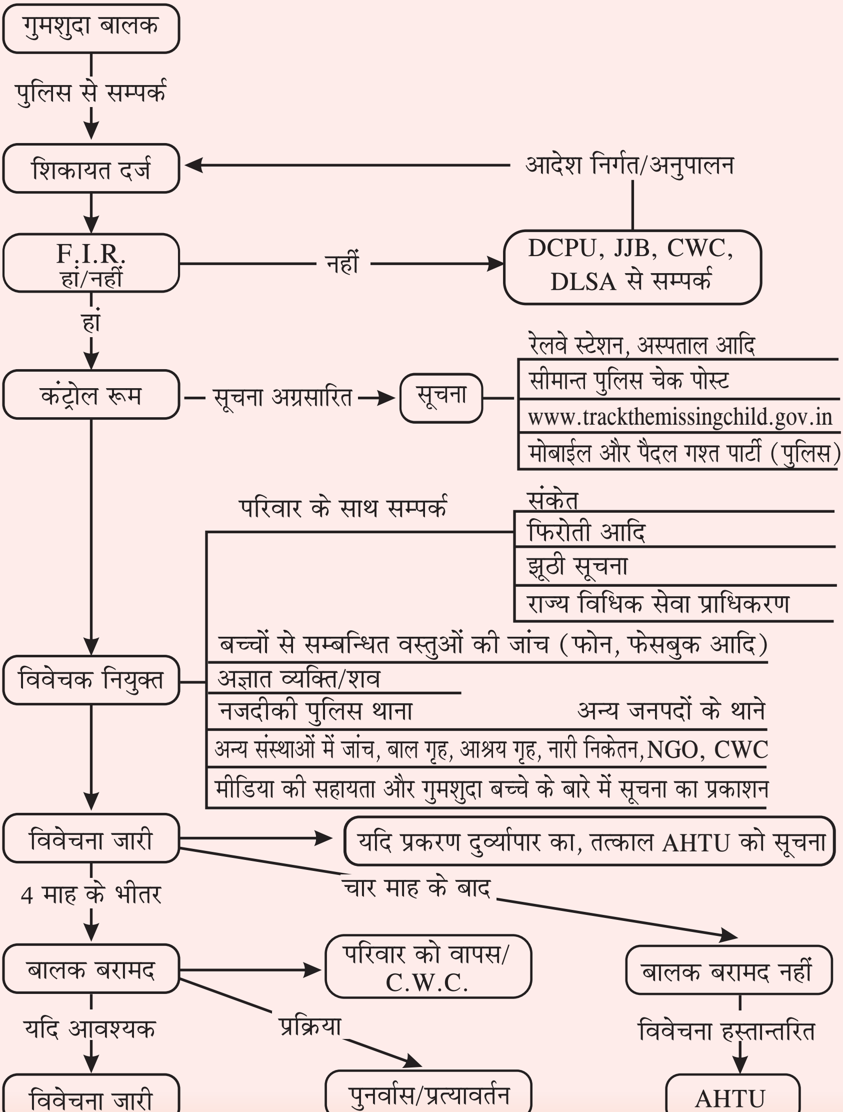

बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012

पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुख्य धाराऐं एवं सजा–

धारा	प्राविधान	दण्ड
3/4	प्रवेशन लैंगिक हमला	10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना।
5/6	गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला	सजा–10 वर्ष से आजीवन कठोर कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना या मृत्युदण्ड।
7/8	लैंगिक हमला	3 से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
9/10	गुरूत्तर लैंगिक हमला	5 से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।
11/12	लैंगिक उत्पीड़न	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

13/14	अश्लील प्रयोजन के लिये बालक का उपयोग	कम से कम 05 वर्ष का कारावास और जुर्माना।
15	बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दण्ड	3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
17	अपराध का दुष्प्रेरण	वह दण्ड जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जिसका दुष्प्रेरण किया गया है।
18	किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दण्ड	अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से, यथास्थिति, जिसकी अवधि आजीवन करावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों।
21(1)	मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहना	06 माह तक का कारावास या जुर्माना

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के अंतर्गत पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में ध्यान देने वाली बातें-

- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को तत्काल धारा 154 दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया जाना चाहिए।
- पोक्सो अधिनियम के अधीन अपराध किये जाने की सम्भावना या अपराध होने की जानकारी रखने वाले व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत बालक भी हैं) द्वारा सूचना SJPU या स्थानीय पुलिस को दी जायेगी।

(धारा 19 (1) पोक्सो अधिनियम)

- बालक द्वारा दी गयी सूचना को सरल भाषा में अभिलिखित करना ।

  (धारा 19 (3) पोक्सो अधिनियम)

- बालक के समझने में असफल रहने पर कोई अनुवादक या दुभाषिया उपलब्ध कराना ।

  (धारा 19 (4) पोक्सो अधिनियम)

- अपराध पीड़ित को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होने पर कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उसे 24 घंटे के भीतर व्यवस्था करना ।

  (धारा 19 (5) पोक्सो अधिनियम)

- विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस द्वारा 24 घंटे की अवधि के भीतर मामले को बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहाँ कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं किया गया है वहाँ सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करना।

  (धारा 19 (6) पोक्सो अधिनियम)

विवेचना के समय ध्यान देने वाली बातें-

- बालक के कथन उसके निवास पर या उसकी पसन्द के स्थान पर और जहाँ तक सम्भव हो, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित करना ।

  (धारा 24 (1) पोक्सो अधिनियम)

- बालक के कथन अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी का सादे वस्त्रों में होना।

  (धारा 24 (2) पोक्सो अधिनियम)

- बालक का अभियुक्त के किसी भी प्रकार से सम्पर्क में न आना।

  (धारा 24 (3) पोक्सो अधिनियम)

- बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरूद्ध नहीं किया जाना।

  (धारा 24 (4) पोक्सो अधिनियम)

- पुलिस अधिकारी तब तक बालक की पहचान पब्लिक, मीडिया से संरक्षित करेगा, जब तक बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो।

  (धारा 24 (5) पोक्सो अधिनियम)

- पीड़ित बालिका की चिकित्सीय परीक्षा महिला डॉक्टर द्वारा किया जाना।

  (धारा 27 (2) पोक्सो अधिनियम)

- बालक की चिकित्सीय परीक्षा माता-पिता या बालक के विश्वसनीय व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना।

  (धारा 27 (3) पोक्सो अधिनियम)

- जहाँ बालक के माता-पिता या ऐसा व्यक्ति उपस्थित न हो, तो चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नामित महिला की उपस्थिति में चिकित्सीय परीक्षा किया जाना।

  (धारा 27 (4) पोक्सो अधिनियम)

- घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा बनाना।
- मौके पर फॉरेन्सिक टीम को बुलाना।
- प्रदर्शों (सबूतों) का सावधानीपूर्वक संकलन कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजना।
- घटनास्थल पर यदि गवाह मौजूद हों तो बयान अंकित करना।
- आवश्यकता हो तो एस0ओ0जी0 की सहायता लेना।
- धारा 173 दं0प्र0सं0 के अनुसार 60 दिवस के भीतर चालान मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना ।

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम ,1986

बाल श्रम से सम्बन्धित कानूनों के अंतर्गत बच्चे की परिभाषा

बच्चा– 14 वर्ष से कम

किशोर–14 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम

बाल एवं किशोर श्रम (निषेध विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपराध, धारा व दण्ड

धारा–3ः–14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का किसी उपजीविका या प्रक्रियाओं में नियोजन का प्रतिषेधः–

दो परिस्थितियां ऐसी हैं, जिनमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई हैः–

1. अपने विद्यालय के समय के पश्चात या प्रावकाशों के दौरान अपने कुटुम्ब या कुटुम्ब के ऐसे उद्यमों की सहायता करता है, जो उपसूची में उपवर्णित परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं से भिन्न है।

2. किसी दृश्य–श्रव्य मनोरंजन उद्योग में, जिसके अन्तर्गत विज्ञापन, फिल्म, टेलीविजन सीरियल या सर्कस के सिवाय ऐसे कोई अन्य मनोरंजन या खेल सम्बन्धी क्रियाकलाप भी हैं, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, कलाकार के रूप में कार्य करता है।

परन्तु इस खण्ड के अधीन ऐसा कोई कार्य बालक की विद्यालय शिक्षा को प्रभावित नहीं करेगा।

धारा–3कः– 14 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम के किशोरों का कतिपय परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में निषेध–

14 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम के किशोरों के काम की शर्तों के बारे में भी निम्न प्राविधान हैं :–

1. निर्धारित काम के घंटों से अधिक काम पर नहीं लगाया जा सकता।
2. दैनिक काम के घंटों की संख्या तीन घंटों से अधिक न हो।
3. तीन घंटों से अधिक काम करने की आवश्यकता पर एक घंटे का विश्राम देना आवश्यक है।
4. काम करने की अवधि किसी भी स्थिति में छः घंटों से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें विश्राम का समय और काम के लिए इंतजार का समय शामिल है।
5. शाम सात बजे से सुबह आठ बजे के बीच न तो काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और न ही उनसे काम कराया जाना चाहिए।
6. ओवरटाइम की अनुमति नहीं है।
7. दो प्रतिष्ठानों में एक साथ काम नहीं कर सकते।
8. सप्ताह में एक दिन छुट्टी। इसमें तीन महीने के भीतर एक बार से अधिक परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

धारा 14 (1)– किसी पेशे या प्रक्रिया में बच्चे को काम पर लगाना अथवा इसकी अनुमति देना– 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार से 50 हजार रू0 तक का दण्ड।

धारा 14 (1)– किशोरों को अनुसूची में वर्णित खतरनाक पेशों और प्रक्रियाओं में नियुक्त करना– 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार से 50 हजार रू0 तक का दण्ड।

धारा 14(2)– धारा 3 या 3ए का दुबारा उल्लंघन करना– 01 वर्ष से 03 वर्ष तक का कारावास।

धारा 14(2ए)– माता–पिता या अभिभावक द्वारा धारा 3 या 3ए का दुबारा उल्लंघन – 10 हजार रू0 तक का जुर्माना।

धारा 14(3)– कानून के किसी प्राविधान या नियम का पालन कर पाने में असफल रहना या उनका उल्लंघन करना– एक महीने तक का सादा कारावास और 10 हजार रू0 तक का जुर्माना। संज्ञेय, समझौते के योग्य।

धारा 14 (क)–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नियोजक द्वारा किया गया धारा 3 या 3ए के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

धारा 16– 1– कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का परिवाद सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में कर सकेगा।

2. किसी बालक की आयु के बारे में प्रत्येक प्रमाण पत्र जो विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस बालक को जिससे वह सम्बन्धित है, आयु के बारे में निश्चायक साक्ष्य होगा।

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976

धारा	प्रावधान	दण्ड
16	बन्धित श्रम के प्रवर्तन के लिए दण्ड	03 वर्ष तक का कारावास और दो हजार रूपये तक का जुर्माना
17	बन्धित ऋण के दिए जाने के लिए दण्ड	03 वर्ष तक का कारावास और दो हजार रूपये तक का जुर्माना
18	बन्धित श्रम पद्धति के अधीन बन्धित श्रम कराने के लिए दण्ड	03 वर्ष तक का कारावास और दो हजार रूपये तक का जुर्माना
19	बन्धित श्रमिकों को सम्पत्ति का कब्जा वापस करने में लोप या असफलता के लिए दण्ड	01 वर्ष तक का कारावास और दो हजार रूपये तक का जुर्माना
20	दुष्प्रेरण का अपराध	जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है, उस अपराध का दण्ड
21	अपराधों का संज्ञान	इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

बाल श्रम के सम्बन्ध में पुलिस तथा SJPU के कर्तव्यः-

1-रोकथाम हेतु कार्यवाहीः-

- SJPU द्वारा जिला टास्क फोर्स (DTF) की मासिक गोष्ठी में प्रतिभाग किया जाये।
- श्रम विभाग तथा DTF द्वारा बाल श्रम की रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यों में प्रतिभाग किया जाये।

2-रेस्क्यू से पूर्व की कार्यवाहीः-

- बालश्रम की सूचना प्राप्त होने पर F.I.R. दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये।
- यदि पीड़ित के जीवन और स्वतंत्रता को खतरा हो तो जिला नोडल अधिकारी (DNO) के सहयोग से तत्काल रेस्क्यू सुनिश्चित किया जाये।
- जिला नोडल अधिकारी (DNO) के सहयोग से एक विस्तृत टीम का गठन किया जाये।
- बच्चे को आवश्यक सहायता, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, डॉक्टरी देखरेख,

सलाह, मनोवैज्ञानिक समर्थन इत्यादि की व्यवस्था की जाये।

- रेस्क्यू के स्थान से समस्त साक्ष्य एकत्रित करने की तैयारी सुनिश्चित की जाये।
- फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को साथ में रखा जाये।
- रेस्क्यू अभियान की गोपनीयता को बनाये रखा जाये।

3–रेस्क्यू के दौरान की कार्यवाही:–

- उस स्थान को चलाने के जिम्मेदार मालिक/मैनेजर की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि पीड़ित को गिरफ्तार न किया जाये तथा पीड़ित को अभियुक्त से तत्काल अलग किया जाये।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि स्थान की तलाशी के दौरान कोई बच्चा अथवा किशोर पीछे न छूट जाये।
- उचित दस्तावेजों के साथ साक्ष्य एकत्रित किये जायें।

4– रेस्क्यू के बाद की कार्यवाही:–

- सम्बन्धित समस्त कानूनों के साथ F.I.R. तत्काल दर्ज की जाये।
- रेस्क्यू किये गये बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाये।
- पीड़ित की स्थिति स्पष्ट करें।
- विधिक सेवा प्राधिकरण और पैरालीगल वालंटियर्स को तत्काल सम्मिलित करें।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिंग के पश्चात सी.आर.पी.सी. के अनुसार पीड़ित के बयान दर्ज किये जायें।
- पीड़ित और गवाहों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाये।

5– विवेचना:–

- F.I.R. दर्ज की जाये और जहां भी प्रासंगिक हो, जारी अपराधों के लिए धाराएं लागू करें।
- पीड़ित और गवाहों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाये।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि विवेचना समयबद्ध तरीके से की जाये और आरोप–पत्र यथाशीघ्र दाखिल किया जाये।
- लोक अभियोजक प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को संक्षिप्त विवरण बतायें और सहायता करें।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006

उत्तराखण्ड बाल विवाह के प्रतिषेध नियम, 2016 के अनुसारः-

- बालक से ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुरुष होने की दशा में 21 वर्ष प्राप्त न कर लिये हों और महिला होने पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो, अभिप्रेत है।
- बाल विवाह से कोई ऐसा विवाह जिसका कोई एक पक्षकार बालक हो, अभिप्रेत है।

उत्तराखण्ड बाल विवाह के प्रतिषेध नियम, 2016 के अनुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्तिः-

- जिले से सम्बन्धित जिले का कार्यक्रम अधिकारी- सीएमपीओ
- आईसीडीएस परियोजना खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी- सीडीपीओ।
- क्षेत्र स्तर पर आईसीडीएस सुपरवाइजर, जो कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्बन्धित गांवों को आच्छादित करेगा।

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध, धारा व दण्ड

धारा 9- बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए दण्डः-

18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका से विवाह- कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

धारा 10- बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दण्डः

बाल विवाह को कराना, निर्देशित करना, संचालित करना, बशर्ते कि यह साबित न हो जाये कि यह विश्वास करने का कारण था कि वह बाल विवाह नहीं था।

कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 11- बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दण्ड :-

यदि बाल विवाह सम्पन्न हुआ है तो माता-पिता, अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति (संस्था या व्यक्तियों का समूह भी शामिल है) द्वारा ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करना, अनुमति देना, शामिल होना, भाग लेना। इन लोगों द्वारा ऐसे कारण असफल रहना भी इस प्राविधान के अन्तर्गत अपराध है।

कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा,

परन्तु कोई स्त्री कारावास से दण्डनीय नहीं होगी।

धारा-12 कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना:-

जहां कोई बालक, जो अवयस्क है, विवाह के प्रयोजन के लिए:-

1. विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है, या
2. किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्ही प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है या
3. विक्रय किया जाता है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि अवयस्क अविवाहित है और उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वहाँ ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा।

धारा-13 (10)- निषेधाज्ञा के बावजूद बाल विवाह सम्पन्न कराना- दो वर्ष तक का कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों।

धारा-15 अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

पुलिस की भूमिका

बाल विवाह आयोजित होने के बारे में शिकायत या सूचना प्रायः सबसे पहले पुलिस को ही प्राप्त होती है। ऐसे में पुलिस के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह बाल विवाह को होने से रोकने के लिए समय रहते समुचित कार्यवाही करें।

- प्राथमिकी दर्ज करें और विवेचना करें।
- मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त किसी शिकायत को स्वीकार करने से पुलिस मना नहीं कर सकती।
- सभी शिकायतों को बिना किसी देरी के F.I.R. में परिवर्तित कर देना चाहिए।
- मामले की सूचना बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) को दी जानी चाहिए, जिनका काम बाल विवाह के घटना के बारे में सबूत एकत्रित करना होगा।
- मामले की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए, ताकि उनके द्वारा निषेधाज्ञा जारी की जा सके।
- विवेचना के लिए सीएमपीओ या किसी अन्य तैनात अधिकारी के साथ जाएं।
- अपराधियों को गिरफ्तार करें, क्योंकि यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।
- बच्चे को गिरफ्तार करने या हथकड़ी लगाने से परहेज करें।
- यदि सीएमपीओ या तैनात किया गया अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो स्वयं ही अपराध स्थल (यानी जहां बाल विवाह सम्पन्न किया जा रहा है या किया जा चुका है) पर जाएं और आवश्यक कार्यवाही करें। यदि आवश्यक हुआ तो अवयस्कों को रेस्क्यू करें।
- बच्चों के प्रति दायित्व निर्वहन के समय वर्दी पहनने से परहेज करें ताकि वे स्वयं को आरामदेह स्थिति में महसूस करें और उनकी घबराहट कम हो जाय।
- यह सुनिश्चित करें कि किसी बालिका के प्रति दायित्व निर्वहन के दौरान महिला सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षक/आंगनबाड़ी सेविका/ए0एन0एम0/बच्चे का कोई

निकटवर्ती (कोई व्यक्ति जिसमें बच्चे का भरोसा हो) के अलावा साथ में कोई महिला पुलिस अधिकारी भी हो।

- यदि कोई महिला पुलिस अधिकारी तुरंत उपलब्ध नहीं हो रही हो, तो पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा बालिका से बातचीत की जाए, फिर भी ऐसी स्थिति में महिला सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षक/आंगनबाड़ी सेविका/ए0एन0एम0 बच्चे का कोई निकटवर्ती व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है।
- बच्चे/अवयस्क को 24 घंटे के भीतर नजदीकी बाल कल्याण समिति के समक्ष और समिति के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
- बाल विवाह के पीड़ित बच्चे भी किशोर न्याय अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन उन बच्चों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है।
- माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की सुपुर्दगी से बच्चों को हटाये जाने को अंतिम उपाय के रूप में ही देखा जाना चाहिए और ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो।
- ऐसे किसी भी बच्चे को हवालात या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। उसे किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित और मान्यता प्राप्त किसी उपयुक्त संस्था में ही रखा जाना चाहिए।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम का प्रयोग करने के साथ-साथ अन्य सम्बन्धित कानूनों का भी उपयोग किया जा सकता है ताकि बच्चों को संरक्षण और अभियुक्त के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके।

बालक दुर्व्यापार

धारा 370– जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए

प्रथम– धमकियों का प्रयोग करके, या

द्वितीय–बल या उत्पीड़न के किसी अन्य स्वरूप का प्रयोग करके, या

तीसरा– अपहरण द्वारा, या

चौथा– कपट या प्रवंचना करके, या

पांचवा– शक्ति का दुरूपयोग करके, या

छठवां– प्रलोभन द्वारा, जिसके अन्तर्गत भुगतान या लाभ देना या प्राप्त करना भी शामिल है, व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है या परिवहन करता है या संश्रय देता है या स्थानान्तरित करता है या प्राप्त करता है, जिसके क्रम में नियुक्त किये गये, परिवहन किये गये, संश्रय दिये गये, स्थानान्तरित किये गये या प्राप्त किये गये व्यक्ति पर नियन्त्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करे, वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अपराध कारित करता है।

धारा	बच्चों के दुर्व्यपार से सम्बन्धित प्राविधान	दण्ड
370(4)	किसी अवयस्क का दुर्व्यापार	10 वर्ष का कठोर कारावास जिसे आजीवन बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। संज्ञेय, अजमानतीय।
370(5)	एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार	14 वर्ष का कठोर कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। संज्ञेय, अजमानतीय।

370(6)	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध के दोषी व्यक्ति के लिए दंड।	आजीवन कारावास, जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। संज्ञेय, अजमानतीय।
370A(1)	ऐसे किसी बच्चे का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है।	5 साल के लिए कठोर कारावास जो 7 साल तक हो सकता है और जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। संज्ञेय, अजमानतीय।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपराध व दण्ड

- वेश्यागृह संचालित करना अथवा उसका प्रबन्ध करना या संचालन में सहयोग करना या किसी स्थान का उपयोग वेश्यागृह के रूप में करने देना–**धारा 3**
- वेश्यावृत्ति की कमाई पर गुजारा करना–**धारा 4**
- वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्तियों को उपलब्ध कराना, उन्हें प्रेरित करना, उनको ले जाना– **धारा 5**
- किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखना जहां वेश्यावृत्ति होती है–**धारा 6**
- लोक स्थान या उसके आस–पास वेश्यावृत्ति–**धारा 7**

रेस्क्यू से पूर्व की कार्यवाही

- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर उच्चाधिकारियों को सूचना प्रेषित की जाये।
- सूचना के अनुरूप रैड व रेस्क्यू योजना की तैयारी की जाये व योजना की गोपनीयता बनाये रखी जाये।
- संयुक्त टीम की संरचना की जाये, जिसमें अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, एस0जे0पी0यू0, एएचटीयू, सम्बन्धित विभाग के अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी, दो सम्भ्रान्त व्यक्ति (एक महिला) अथवा एन0जी0ओ0 को सम्मिलित किया जाये।

- वीडियो कैमरा, साक्ष्य एकत्रित करने हेतु आवश्यक उपकरण, वाहन आदि आवश्यक संसाधन को साथ में रखा जाये।
- रेस्क्यू टीम द्वारा खाना, पानी, कपड़े, कम्बल, मेडिकल किट व अनुवादक (यदि आवश्यक हो) आदि की समुचित व्यवस्था हो।
- टीम के सभी सदस्यों की ब्रीफिंग व व्यक्तिगत टास्किंग की जाये।

रेस्क्यू के दौरान की कार्यवाही

- अनैतिक व्यापार की प्रथम दृष्ट्या पुष्टि होने पर सरप्राईज रैड कर मौके पर मौजूद सभी महिलाओं/पुरूषों से अलग–अलग पूछताछ कर पीड़ितों व शोषकों का पता लगाया जाये।
- अभियुक्तों व संदिग्धों को पीड़ित बच्चों के साथ न रखा जाये।
- पीड़ित बच्चे से किसी भी दशा में अभियुक्त की तरह व्यवहार न किया जाये।
- पीड़ित बच्चों को किसी भी दशा में गिरफ्तार न किया जाये।
- पीड़ित बच्चों को विश्वास में लेकर टीम की महिला पुलिस अधिकारियों एवं स्वतंत्र महिला गवाहान के समक्ष पूछताछ की जाये।
- घटनास्थल की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की जाये, पर इस बात का ध्यान रखा जाये कि फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का हनन न हो।
- घटनास्थल पर उपलब्ध सभी अभिलेखीय/भौतिक साक्ष्य की तलाशी लेकर उन्हें कब्जे में लिया जाये।
- घटनास्थल के प्रत्येक स्थान की तलाशी ली जाये। तलाशी के दौरान कोई भी पीड़ित घटनास्थल पर नहीं छूटना चाहिए।
- घटनास्थल का नक्शा तैयार किया जाना चाहिए।
- घटना में बरामदगी सम्बन्धी फर्द तैयार की जाये।
- पीड़ित व्यक्ति की गोपनीयता बनाये रखी जाये व किसी भी स्तर पर उनका प्रचार–प्रसार न किया जाये।
- प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद की स्थिति में पीड़ित के अधिकारों की रक्षा की जाये।

रेस्क्यू के पश्चात की कार्यवाही

- इस प्रकार के अभियोगों को अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 तथा लागू होने वाले अन्य कानूनों जैसे–भादंवि व अन्य विशेष कानूनों की उपयुक्त धाराओं के तहत दर्ज किया जाना चाहिये।
- गिरफ्तार व्यक्तियों से विस्तृत व सघन पूछताछ कर अपराध में लिप्त सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाये।
- रेस्क्यू किये गये बच्चों की काउन्सिलिंग महिला पुलिस अधिकारियों एवं एन0जी0ओ0 की उपस्थिति में विस्तृत पूछताछ कर जानकारी एकत्रित की जाये।
- पीड़ित बच्चों का चिकित्सकीय परीक्षण आवश्यक कराया जाये।
- पीड़ित बच्चों को रात्रि में थाने में न रखा जाये।
- रेस्क्यू किये गये पीड़ित बच्चों की काउन्सिलिंग कराकर दं0प्र0सं0 की धारा–164 के अन्तर्गत बयान लेखबद्ध कराने की कार्यवाही की जाये।
- रेस्क्यू किये गये पीड़ित बच्चों को सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मजिस्ट्रेट को आवेदन कर उन्हें संरक्षणगृह में भेजे जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
- पीड़ित बच्चों के पुनर्वास हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अनुसार वेश्यागृहों को सील कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

भादंवि से सम्बन्धित अपराध

धारा	प्राविधान	दण्ड
166ए	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है।	कम से कम 06 मास से 02 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
228ए	धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई के पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण	02 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
363	व्यपहरण के लिए दण्ड	सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
363ए	1. भीख मांगने के लिए व्यपहरण 2. भीख मांगने के लिए अवयस्क का व्यपहरण और अंग भंग	1. दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना । 2. आजीवन कारावास और जुर्माना।
364	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण	आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माना।
364ए	फिरौती के लिए व्यपहरण	मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास और जुर्माना।
365	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण	सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
366	विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण या उत्प्रेरित करना	दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
366ए	अप्राप्तवय लड़की का उपापन	दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
366बी	विदेश से लड़की का आयात करना।	10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
367	व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण	10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

368	व्यपहरण या अपहरण किये गये व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना	अपहरण और व्यपहरण के समान सजा।
369	10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण	07 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
376 एबी	12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार	कठोर कारावास, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के कारावास से होगा, तथा जुर्माना अथवा मृत्युदण्ड।
376 डीबी	12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार	आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के कारावास से होगा तथा जुर्माना अथवा मृत्युदण्ड।
376 डीए	16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार	आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के कारावास से होगा तथा जुर्माना।
372	वेश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को बेचना	10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। संज्ञेय, अजमानतीय।
373	वेश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को खरीदना	10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। संज्ञेय, अजमानतीय।

सम्पादक मण्डल

सुश्री पी. रेणुका देवी, IPS
पुलिस उप महानिरीक्षक
अपराध एवं कानून व्यवस्था

प्रवीन सिंह
उप निरीक्षक, ए.एच.टी.सी.

पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड

Design & Printed by CRI Events # 9897099955